

पीएम श्री केवि क्र.॥ आईएसपी नासिक / PM SHRI K.V. No.II ISP Nashik

प्रवेश सूचना / Admission Notice

दिनांक / Date : 20-05-2026

इस विद्यालय में सत्र **2026-27** हेतु कक्षा XI व XII (विज्ञान और वाणिज्य संकाय)
में ऑफ़लाइन प्रवेश के लिए कुछ रिक्तियां हैं।

पंजीकरण प्रारंभ तिथि: 20-05-2026 समय: प्रातः 10 से 12:30 बजे तक

पंजीकरण अंतिम तिथि: 28-05-2026

There are few vacancies for offline admissions in
Classes XI & XII (Science and Commerce Stream)

in this vidyalaya for the session **2026-27**

Registration Start Date: 20-05-2026 Registration Time: From 10 am to 12:30 pm

Last Date for registration: 28-05-2026

Admission I/C

Principal
PM SHRI KV ISP NASHIK

नए एडमिशन के लिए नियम और शर्तें

कक्षा XII में नए एडमिशन (KV छात्रों को छोड़कर) तभी दिए जाएँगे, जब सीटें खाली होंगी। इसके अलावा, ये एडमिशन नीचे दी गई शर्तों के अधीन होंगे:

- a) बच्चे ने पढ़ाई का वही कोर्स किया हो, यानी किसी CBSE-से मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई की हो।
- b) कक्षा XII में एडमिशन के लिए, कक्षा XI की परीक्षा में 55% अंक लाना अनिवार्य है।
- c) KVS एडमिशन गाइडलाइंस के अनुसार, बच्चा एडमिशन के लिए अन्य सभी तरह से योग्य होना चाहिए।
- d) छात्र ने जिन विषयों का चुनाव किया है, वे संबंधित केंद्रीय विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए।
- e) नए एडमिशन केवल सिविल और डिफेंस सेक्टर के KV स्कूलों के लिए प्रायोरिटी कैटेगरी I और II के तहत, और IHL/प्रोजेक्ट सेक्टर के KV स्कूलों के लिए प्रायोरिटी कैटेगरी I से III के तहत ही दिए जाएँगे।

TERMS & CONDITIONS FOR FRESH ADMISSION

Fresh admissions to class-XII, other than KV students, will be entertained subject to the availability of vacancies. This will further be subject to the following conditions:

- a) The child has been in the same course of studies i.e. in a CBSE-affiliated school.
- b) For admission to class XII, 55% marks in class XI examination is mandatory.
- c) The child should otherwise be eligible as per KVS Admission Guidelines.
- d) The combinations of subjects opted by the student are available in the concerned Kendriya Vidyalaya.
- e) Fresh Admission will be for Priority category I and II for Civil and Defence sector KVs and priority category I to III in case IHL/Project sector KVs only.